दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 28.07.2020

वादी की और से श्री प्रद्युमन परमार अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से श्री महेन्द्रसैन अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार आज दिनांक 28.07.2020 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालदावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेवसिंह के नाम चक 41 एन.जी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 16/19 के पत्थर नम्बर 145/246 (28) के किला नम्बर 3 ता 8 कुल 1.518 हैक्टर कृषि भूमि में वर्तमान प्रविष्ठि को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी बलकरणसिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक बूड़सिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 28.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ★ हनुमानगढ़ ★

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner